फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. Gcms No. 2011/00131

बअनवान् स्व. खीवसिंह के कामु. सवाईसिंह वगैरा बनाम स्व. जवसिंह उर्फ जीवसिंह के कामु. स्व. अर्जुनसिं के कामु. शोभाकंवर पत्नि अर्जुनसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुये
19/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव व श्री कैलाश कुमावत की बहस सुनी गई। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में कानूनी दृष्टांत RRT 2022(2) पेज 952 पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो द्वारा दिये गये बयानो में उल्लेखित कथनो का भी भलीभॉति अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:— 1. आया वादग्रस्त भूमि मौजा भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा—16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के बरिसान के साथ बहिरसा बराबर की खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी हैं ?.....वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में अपने आपको स्व0 हमीरसिंह का वारिश बताते हुये मौजा भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा—16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर की भूमि के अधिकार अभिलेखो में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के साथ बहिरसा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने की मांग की। इसका मुख्य आधार यह बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एक ही पुर्वज हमीरसिंह के वारिश है, तथा हमीरसिंह के छः पुत्र यथा— भैरूसिंह, जवसिंह उर्फ जीवसिंह, जयसिंह, खींवसिंह, लक्ष्मणसिंह, थानसिंह होना वर्णित किया। वादपत्र में अपने आपको खींवसिंह, लक्ष्मणसिंह व थानसिंह के वारिश होना वर्णित किया, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को भैरूसिंह, जीवसिंह व जयसिंह का वारिश बताया तथा जीवसिंह व जयसिंह को परिवार का कर्ताखान बताया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार रहा हो, यह साबित नहीं है। विधिक प्रावधानो के अनुसार खातेदारी घोषणा के लिये तीन शर्तो की पूर्ति होना निहायत आवश्यक है। (1) भूमि पुश्तैनी हो (2) भूमि खरीद शुदा हो (3) भू0 प्रबन्ध की त्रुटि हो। जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श— ई.एक्स.डी—01 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भंदर के गत् खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा—06 कुल रकबा रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा भूमि के खातेदार लादुराम पुत्र दुर्गाराम ब्राहमण रहे है। तथा उक्त जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार नायब तहसीलदार, बाली के आदेश से नामा करण सं. 13 दिनांक 22.4.60 की पालना में अमल दरामद कर अजीतसिंह पुत्र सवसिंह, जीवसिंह वल्द हमीरसिंह , जयसिंह वल्द भैरसिंह राजपुत सा. कोठार दर्ज किया जाना प्रमाणित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने के समय से ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम की खातेदारी दर्ज रही है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के गत् खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा–06 कुल रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा–16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर बनने का प्रश्न है, इस बिन्दु को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नही है, तथा साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति के अनुसार भी गत् खसरा नंबर से हाल खसरा नंबरान् बनने की पुष्टि होती है। भू0प्रबन्ध के दौरान् बनी मिसाल बन्दोबस्त संवत् 2037 से 2056 में भी वादग्रस्त भूमि ग्राम भंदर के हाल खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा–16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर में भी प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के साथ बतौर सह खातेदार जीवसिंह पुत्र हमीरसिंह व जयसिंह पुत्र हमीरसिंह का ही नाम दर्ज है। वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार न तो भू0प्रबन्ध पहले के रिकार्ड में वादीगण वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार रहे है एवं न भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् ही खातेदार दर्ज हुये है, एवं न ही वर्तमान अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से वादीगण का वाद साबित नहीं है। तथा रिकार्ड में दर्ज सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 04 से 07 एवं इनके वारिशान को भी मौखित साक्ष्यो के तौर पर उपस्थित कराने में वादीगण असफल रहे है। जिससे विधिक प्रावधानो एवं वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी कानूनी दृष्टांत RRT 2022(2) पेज 952 में प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी नहीं रहने से तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी के पश्चात् अपने हिस्से बंट की भूमि के सबंध में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के वारिशान के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से वादीगण का वाद साबित नहीं हुआ है। जिससे तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्व निर्णित हुई है। चूँकि वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में संवत् 2012 से लेकर आदिनांक तक वादीगण रिकार्ड में सह खातेदार दर्ज नहीं रहे है। जिससे वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता। राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 के अनुसार रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को सही माना जाता है। तथा रिकार्ड में दर्ज सह खातेदार का कब्जा भी विधि अनुसार माना जाता है। वादीगण के मौखिक साक्ष्य भी अपने बयानो में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित करने में असफल रहे है। जिससे रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के हिस्से बंट की भूमि के सबंध में वादीगण के पक्ष में किसी प्रकार की सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। जिससे तनकी संख्या 02 भी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादग्रस्त भूमि गौजा भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा–16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर के पुराने खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा–06 कुल रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के पुर्वज अजीतसिंह वल्द सवसिंह, जीवसिंह वल्द हमीरसिंह, जयसिंह वल्द भैरूसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार को पुर्व खातेदार लादुराम

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण से संवत् 2012 में खातेदारी हक देने से नामान्तरकरण संख्या 13 दिनाक 22.04.1960 के प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 के पुर्वजो के नाम खातेदारी दर्ज की जाने से इस भूमि में वादीगण का कोई हक अधिकार नही हैं ?.....
.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एव इसके समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श– ई.एक्स. डी–01 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भदर के गत् खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा–06 कुल रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा भूमि के खातेदार लादुराम पुत्र दुर्गाराम ब्राहमण रहे है। तथा उक्त जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार नायब तहसीलदार, बाली के आदेश से नामा.करण सं. 13 दिनांक 22.4.60 की पालना में अमल दरामद कर अजीतसिंह पुत्र सवरिंह, जीवसिंह वल्द हमीररिंह,, जयरिंह वल्द भैररिंह राजपुत सा. कोठार दर्ज किया जाना प्रमाणित है। इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह डी. डब्लू–01 भी अपने बयानो में करते है। वादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू–01 भी जिरह के दौरान् इस तथ्य का खण्डन नहीं कर पाये है। तथा वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत RRT 2022(2) पेज 952 में प्रतिवादित सिद्धान्तो के अनुसार भी रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के विरूद्व बिना पर्याप्त आधार के खातेदारी घोषणा के अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा रिकार्ड में लम्बे समय से चले आ रहे इन्द्राज में बिना ठोस सबूत के रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वादग्रस्त भूमि बाबत् संवत् 2012 में खातेदारी हक प्रतिवादीगण के पुर्वज को देने से नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 22.4.60 के अमल दरामद होने से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवदी संख्या 01 से 07 के पुर्वज अजीतसिंह वल्द सवरिंह, जीवरिंह वल्द हमीरसिंह, जयसिंह वल्द भैरूरिंह का 1/3 , 1/3 हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 से 7 काबिज काश्त होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श– ई.एक्स.डी–01 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भंदर के गत् खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा–06 कुल रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा भूमि के खातेदार लादुराम पुत्र दुर्गाराम ब्राहमण रहे है। तथा उक्त जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार नायब तहसीलदार, बाली के आदेश से नामा.करण सं. 13 दिनांक 22.4.60 की पालना में अमल दरामद कर अजीतसिंह पुत्र सवरिंह, जीवसिंह वल्द हमीररिंह , जयरिंह वल्द भैररिंह राजपुत सा. कोठार दर्ज किया जाना प्रमाणित है। इसके साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो में दर्ज इन्द्राजो के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण के पुर्वजो के नाम साह खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। जिससे रिकार्ड में दर्ज साह खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के विरूद्व वादीगण का प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। जिससे तनकी संख्या 04 भी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. अनुतोष ?.

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि मौजा भंदर तहसील बाली के पुराने खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा–06 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460,

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा–16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर के सबंध में किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी नही रहते है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 आफ्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. स्व. खीवसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिसानः–
   1/1. सवाईसिंह पुत्र खीवसिंह
   1/2. जोरसिंह पुत्र खीवसिंह
   1/3. दौलतसिंह पुत्र खीवसिंह
   1/4. धनसिंह पुत्र खीवसिंह
   1/5. हुकमसिंह पुत्र खीवसिंह
   1/6. श्रीमती मणीकंवर पत्नी स्व. खीवसिंह
2. स्व. लक्ष्मणसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिसानः–
   2/1. शैतानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   2/2. गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   2/3. स्व. अनोपसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के कामु वारिसानः–
      2/3/1. कुलदीपसिंह पुत्र अनोपसिंह
      2/3/2. श्रीमती किरण कंवर पत्नी स्व. अनोपसिंह
   2/4. श्रीमती सज्जानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
3. स्व. थानसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिसानः–
   3/1. प्रतापसिंह पुत्र थानसिंह
   3/2. शोभा कंवर पत्नी स्व. थानसिंह तमाम जाति राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. जवसिंह उर्फ जीवसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिसानः–
   1/1. स्व. अर्जुनसिंह पुत्र जवसिंह के कामु वारिस
      1/1/1. शोभा कंवर पत्नी स्व अर्जुनसिंह
      1/1/2. श्रवणसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
      1/1/3. जीतुसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
   1/2. स्व. फुलसिंह पुत्र जीवसिंह के कामु वारिसानः–
      1/2/1. श्रीमती अमृतकंवर पत्नी स्व. फुलसिंह
      1/2/2. सुश्री दिक्षा कंवर पुत्री फुलसिंह
   1/3. स्व. जबरसिंह पुत्र जवसिंह के कामु वारिसानः–
      1/3/1. श्रीमती आनंदकंवर पत्नी स्व. जबरसिंह
      1/3/2. मोन्दुसिंह पुत्र जबरसिंह
      1/3/3. महिपालसिंह पुत्र जबरसिंह
      1/3/4. जीगनाकंवर पुत्री जबरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण जो प्रतिवादी संख्या 1/1 स्व. अर्जुनसिंह 1/3 स्व. जबरसिंह के वारिसान कोठार में नहीं रहकर गावं सातपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही राजस्थान में निवास करते है।
   1/4. स्व. भवरसिंह पुत्र जवसिंह के कामु वारिसानः–
      1/4/1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भवरसिंह
      1/4/2. उम्मेदसिंह पुत्र भवरसिंह
      1/4/3. श्रीमती अंतरकंवर बेवा भवरसिंह
2. स्व. जयसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिसानः–
   2/1. नरपतसिंह पुत्र जयसिंह
   2/2. सूरजकंवर बेवा जयसिंह डिलीटेड दिनांक 07.08.2024
3. स्व. भैरूसिंह पुत्र हमीरसिंह के कामु वारिस लाल सिंह पुत्र भैरूसिंह
4. ज्वरसिंह पुत्र अजीतसिंह
5. मालमसिंह पुत्र अजीतसिंह
6. भंवरसिंह पुत्र अजीतसिंह
7. स्व. वरदीसिंह पुत्र अजीतसिंह के कामु
   7/1. जवानसिंह पुत्र वरदीसिंह
   7/2. राजेन्द्रसिंह पुत्र वरदीसिंह
   7/3. स्व. ईश्वरसिंह पुत्र वरदीसिंह के कामु वारिसानः–
      7/3/1. श्रीमती विश्वासाकंवर बेवा ईश्वरसिंह
      7/3/2. गेहराजसिंह पुत्र ईश्वरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती विश्वासाकंवर बेवा ईश्वरसिंह
   7/4. श्रीमती कमला कंवर बेवा वरदीसिंह तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2011/00131

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात मौजा भंदर तहसील बाली के पुराने खसरा नंबर 1532, 1533, 1592, 1593, 1594, 1534 कुल खसरा—06 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 कुल खसरा—16 कुल रकबा 3.29 हैक्टर के संबंध में किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी नही रहते है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-02-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर-एवं-पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner